

विभागीय साईट

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी डी0डी0ओ0, श्रम विभाग,
हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था0/04/2024/10229-281

दिनांक: 5/04/24

विषय:


मार्च-2022 तक के NAPS के तहत सभी प्रतिपूर्ति क्लेम्स ऑफलाइन जमा करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, पंचकूला से प्राप्त पत्र क्रमांक TA/AAP/NAPS Claim/2017/05/4857 दिनांक 04.04.2024 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, पंचकूला से प्राप्त पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करके आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

संलग्न/उपरोक्त

सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।



Industrial Training Institute

Skill Development and Industrial Training Department, Haryana,
Plot No. IP -2, Sector-3, Near Majri Chowk, Panchkula, Haryana,
Phone: 0172-5229202, E-mail: aaa.itiharyana@gmail.com

(ई-मेल द्वारा)

सेवा में,

- 1) सभी मंडल आयुक्त, प्रशासनिक मंडल, हरियाणा राज्य में।
- 2) सभी विभाग अध्यक्ष, हरियाणा राज्य में।
- 3) सभी प्रबंध निदेशक/ मुख्य प्रशासक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ बोर्ड/ निगम/ एजेंसीज/ परिषद् एवं SPSUs हरियाणा राज्य में।
- 4) सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
- 5) सभी रजिस्ट्रार, राज्य के अधीन विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: TA/APP/NAPS Claim/2017/05/ 4857

दिनांक: 4-4-24

मार्च -2022 तक के NAPS के तहत सभी प्रतिपूर्ति क्लेम्स ऑफलाइन जमा करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आपको अवगत करवाया जाता है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक F. No. MSDE-39/14/ 2022-AP दिनांक 16.11.2022 (प्रति सलंग्र) के अनुसार मार्च -2022 तक के NAPS के तहत सभी प्रतिपूर्ति क्लेम्स का कार्य ऑफलाइन मोड द्वारा किया जाना है व अप्रैल-2022 से सभी क्लेम्स अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर ऑनलाइन मोड द्वारा जमा करवाए जाने है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मार्च-2022 तक के NAPS के सभी लंबित क्लेम्स दिनांक 30.04.2024 तक सम्बंधित सहायक शिक्षता सलाहकार को भेजना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी कारण से अब तक NAPS क्लेम्स प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो वह भी सम्बंधित सहायक शिक्षता सलाहकार को प्रतिपूर्ति हेतु NAPS क्लेम्स जमा करवाना सुनिश्चित करें व यह भी सुनिश्चित कर लें कि मार्च-2022 से पूर्व के कोई भी क्लेम्स आपके स्तर पर लंबित ना हो। इसे अंतिम अवसर समझा जाए।

यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(संजीव शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (अप्रेंटिसशिप),

कृते: महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण


विभाग, हरियाणा, पंचकुला।

P.T.O.

पृ० क्र०: TA/APP/NAPS Claim/2017/05/५४५४

दिनांक: ०५/०५/२०२५

उपरोक्त की प्रति सहायक शिक्षता सलाहकार-एवं-प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अंबाला शहर, फतेहाबाद एट भोडिया खेड़ा, भिवानी, चरखी दादरी एट रावलधी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर एट गुढ़ा, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूह (मेवात), पानीपत, फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर को भेजते हुए आदेश दिए जाते हैं कि आप अपने-अपने जिलों के अधीन प्रतिष्ठानों के मार्च-२०२२ तक के लंबित NAPS क्लेम्स निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों अनुसार चैक व सत्यापित कर के आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशालय को दिनांक १०.०५.२०२४ तक अग्रेषित करें। आप अपने-अपने जिले के अधीन प्रतिष्ठानों से संपर्क कर यह भी सुनिश्चित कर लें कि मार्च-२०२२ से पूर्व के कोई भी क्लेम्स उनके व आपके स्तर पर लंबित ना हो। यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(संजीव शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (अप्रेंटिसशिप),
कृते: महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा, पंचकुला।

F. No. MSDE-39/14/2022-AP
Government of India
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

2nd floor, PTI Building
Sansad Marg, New Delhi
Dated: 16.11.2022

To

All RDSDEs/SAAAs/AAAs

Subject: Online Claim Reimbursement under NAPS from 01.04.2022 onwards

Sir/madam,

As you are aware that, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), Govt. of India, is implementing National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) w.e.f. August 2016.

2. In relation to this, it is pertinent to mention that the fund flow mechanism has been changed for FY 2022-23 and will be through NSDC as per the upcoming NAPS version.
3. It is therefore, all the NAPS bills from 1st April 2022 onwards for financial year 2022-23 will be processed online through Apprenticeship portal as per the SOP (Copy attached).
4. In this regard, it is requested to submit the bills accordingly. For this purpose, the functionality has been created in the portal. To access, please log in to Apprenticeship portal and navigate Home > Establishment Dashboard > Stipend > Claim & Reimbursement.
5. The region-wise portal training program has been scheduled as per Annexure-1.

Yours faithfully

(K. Srinivasa Rao)

Director (Apprenticeship)

Copy to

1. Sr PPS to Secretary (MSDE)-for kind information please
2. PS to JS(KKD) for information please
3. PS to DDG(DGT) for information please
4. All TPAs- to ensure compliance without fail
5. COO (Officiating CEO), NSDC

Annexure-1

| Sl. No. | Region | State | Date | Time |
|---------|--------|--|---------------------------------|----------------------|
| 1. | South | Tamilnadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, Andaman & Nicobar Island, Pudducherry | 22 nd November, 2022 | 11.00 AM to 01.00 PM |
| 2. | North | Haryana, Delhi NCR, Punjab, Jammu & Kashmir, Leh, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Utrrakhand | 24 th November, 2022 | 11.00 AM to 01.00 PM |
| 3. | East | All North East States, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh | 29 th November, 2022 | 11.00 AM to 01.00 PM |
| 4. | West | Daman & Diu, Dadra Nagar & Havelin Goa, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh | 01 st December, 2022 | 11.00 AM to 01.00 PM |